न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—53/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88,53 आरटीए

1. कुलविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. मनजीतकौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
3. निरेन्द्रपाल कौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
4. स्वर्णजीतकौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
5. ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
6. परमजीतकौर पुत्री ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया तहसील संगरिया।
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीतसिंह कलसी—वकील प्रति सं.1 ता 6

निर्णय दिनांक :— 10.06.2019

वादीगण कुलविन्द्रसिंह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत इस्तकरार हक एवं खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है, वादीगण के परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 के मुताबिक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक नं.11 एमजेडी के खाता संख्या 66/57 खाता राजेन्द्रसिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2068 —71 में जरिये इन्तकाल नं.468 दिनांक 30.1.2013 के मुताबिक 1.012 है. आराजी तथा चक नं. 10 एमजेडी के खाता संख्या 97/71,88 खाता राजेन्द्रसिंह जमाबन्दी सम्वत् में कुल 6.857 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की नकल जमाबन्दी हमराह दावा है जो वादीगण के दावे का आधार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की जद्दी जायदाद है,जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है,किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के पक्ष में कर दिया है। अतःप्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बहिब के हकदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह के समस्त हक व हिस्सा की आराजी उनके वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 6 की जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 6 का उनके पिता प्रतिवादी संख्या 5 के साथ जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है,किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में कर दिया है । अतःप्रतिवादी संख्या 5 के समस्त हक व हिस्सा की आराजी के

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब के हकदार है। उक्त आराजी के घरू बंटवारा मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 को चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 66/57 में दर्ज समस्त 1.012 है. आराजी तथा चक नं. 10 एमजेडी में 1.518 है. आराजी तथा प्रतिवादी संख्या 5 को चक नं. 11 एमजेडी में 0.506 है. आराजी तथा उक्त चक 11 एमजेडी की शेष आराजी वादीगण को प्राप्त हुई है। अतः उक्त घरू बंटवारा मुताबिक वादग्रस्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने काश्त की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी–मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार हैः–

वादी संख्या 1 कुलविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146/175 मु.नं. 5 कि.नं. 21/1/.038 गै.मु. 012 = 0.050 है.,प.नं. 146/176 मु.नं. 7 कि.नं. 10–11 प्रत्येक 0.253 =0.506 है.,प.नं. 143/177 मु.नं. 13 कि.नं. 22,23 प्रत्येक 0.253,24/. 127 =0.633 है.,प.नं. 143/178 मु.नं. 22 कि.नं. 2–3–4 प्रत्येक 0.253 है.,5–6 प्रत्येक 0.228,गै.मु.0.051 =1.266 है.,

वादी संख्या 2 लखविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146/175 मु.नं. 5 कि.नं. 21/1/.025 गै.मु. 013 = 0.038 है.,प.नं. 146/176 मु.नं. 7 कि.नं. 1/0.253,2/0.190 =0.443 है.,प.नं. 143/177 मु.नं. 13 कि.नं. 7–13–14–16–17–18 प्रत्येक 0.253, 24/.126,25/0.253 =1.897 है.,

प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 11 एमजेडी के प.नं. 138/182 मु.नं. 42 कि.नं. 21/0.228, 22/0.253, प.नं. 138/183 मु.नं. 47 कि.नं. 1/0. 228,2/0.253,गै.मु. रास्ता 0.050 =1.012 है.,

चक नं. 10 एमजेडी के प.नं.142/177 मु.नं. 12 कि.नं.3–8–9–10–11–12 प्रत्येक 0.253 है. =1.518 है.,

प्रतिवादी संख्या 5 ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं.10 एमजेडी के प.नं. 144/177 मु.नं.14 कि.नं. 21/.253=0.253 है.,प.नं.144/178 मु.नं.21 कि.नं.1/0.228,गै.मु. 0.025 है. = 0.253 है.,

वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वादीगण को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायत करवा लेवें। इस पर पहले तो टालमटोल करते रहे लेकिन दावा दायरी से एक सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। मुकर्रा तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण ने जरिए वकील एवं स्वयं हाजिर आकर उक्त दावे में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथा समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां,सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्ड सिखान से जारी राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह व ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह का वारिसनामा मूल ही पेश किया है जिन्हे शामिल

मिसल किया गया। पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नम्बर 10 एमजेडी के नामान्तरणकरण संख्या 371 की प्रमाणित प्रति व चक नं.11 एमजेडी का नामान्तरणकरण संख्या 391 की प्रमाणित प्रतियां व प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं. 10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2016 खाता संख्या 25/32 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम की, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं. 10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् के खाता संख्या 49/45 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह,राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह व बलतेजसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम की पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बैंक का नोटिस बाद तामील प्राप्त जवाब पेश नहीं किया गया,बैंक के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर बैंक हित सुरक्षित रखा गया है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के आधार पर स्वीकृत करने का निवेदन किया। बहस के पैतृक सम्पति साक्ष्य चक नम्बर 10 एमजेडी के नामान्तरण संख्या 391/71 की प्रमाणित प्रति व चक नं. 11 एमजेडी का नामान्तरण संख्या 391/59 व चक नं.11 एमजेडी का नामान्तरण संख्या 391 की प्रमाणित प्रतियां व प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं. 10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2016 खाता संख्या 25/32 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम की,प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं.10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2037 के खाता संख्या 49/45 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 का पिता बचनसिंह है जिसके नाम से वादपत्र में वर्णित रकबा दर्ज है,पैतृक सम्पति साक्ष्य से वाद वादीगण साबित होने के आधार पर अधिवक्ता वादी ने वाद वादी स्वीकार कर खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। चक नम्बर 10 एमजेडी के नामान्तरण संख्या 391/71 की प्रमाणित प्रति व चक नं. 11 एमजेडी का नामान्तरण संख्या 391/59 व व चक नं.11 एमजेडी का नामान्तरण संख्या 391 की प्रमाणित प्रतियां व प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं.10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2016 खाता संख्या 25/32 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम की, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी चक नं. 10 एमजेडी जमाबन्दी सम्वत् 2037 के खाता संख्या 49/45 बचनसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह के नाम से है जिससे पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा व खाता विभाजन बाबत सहमति प्रकट की है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतःवाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक नं.10 एमजेडी के खाता संख्या 97/71,88 खाता में प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज कुल 6.857 है. आराजी में से 2.455 है. आराजी वादी संख्या 1 के नाम तथा 2.378 है. आराजी वादी संख्या 2 के नाम तथा 0.506 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने तथा उक्त खाता की शेष 1.518 है. आराजी तथा चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 66/57 में जरिये इन्तकाल संख्या 468 के मुताबिक दर्ज 1.012 है. आराजी बदस्तुर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रखे जाने/दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई हैः–

वादी संख्या 1 कुलविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146/175 मु.नं. 5 कि.नं. 21/1/.038 गै.मु. 012 = 0.050 है.,प.नं. 146/176 मु.नं. 7 कि.नं.

10–11 प्रत्येक 0.253 =0.506 है.,प.नं. 143/177 मु.नं. 13 कि.नं. 22,23 प्रत्येक 0.253, 24/.127 =0.633 है.,प.नं. 143/178 मु.नं. 22 कि.नं. 2–3–4 प्रत्येक 0.253 है.,5–6 प्रत्येक 0.228,गै.मु.0.051 =1.266 है.,

वादी संख्या 2 लखविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146/175 मु.नं. 5 कि.नं. 21/1/.025 गै.मु. 013 = 0.038 है.,प.नं. 146/176 मु.नं. 7 कि.नं. 1/0.253,2/0.190 =0.443 है.,प.नं. 143/177 मु.नं. 13 कि.नं. 7–13–14–16–17–18 प्रत्येक 0.253, 24/.126,25/0.253 =1.897 है.,

प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 11 एमजेडी के प.नं. 138/182 मु.नं. 42 कि.नं. 21/0.228, 22/0.253, प.नं. 138/183 मु.नं. 47 कि.नं. 1/0.228,2/0.253,गै.मु. रास्ता 0.050 =1.012 है.,

चक नं. 10 एमजेडी के प.नं.142/177 मु.नं. 12 कि.नं.3–8–9–10–11–12 प्रत्येक 0.253 है. =1.518 है.,

प्रतिवादी संख्या 5 ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह को प्राप्त हिस्सा– चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 144/177 मु.नं. 14 कि.नं. 21/.253=0.253 है.,प.नं. 144/178 मु.नं. 21 कि.नं. 1/0.228,गै.मु.0.025 है. =0.253 है.,

उपर्युक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–53 / 2019

1. कुलविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. मनजीतकौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
3. निरेन्द्रपाल कौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
4. स्वर्णजीतकौर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
5. ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
6. परमजीतकौर पुत्री ज्ञानसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया तहसील संगरिया।
8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धु वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 10 एमजेडी के खाता संख्या 97 / 71,88 खाता में प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज कुल 6.857 है. आराजी में से 2.455 है. आराजी वादी संख्या 1 के नाम तथा 2.378 है. आराजी वादी संख्या 2 के नाम तथा 0.506 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने तथा उक्त खाता की शेष 1.518 है. आराजी तथा चक नं. 11 एमजेडी के खाता संख्या 66 / 57 में जरिये इन्तकाल संख्या 468 के मुताबिक दर्ज 1.012 है. आराजी बदस्तुर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रखे जाने / दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई हैः–

वादी संख्या 1 कुलविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146 / 175 मु.नं. 5 कि.नं. 21 / 1 / .038 गै.मु. 012 =0.050 है.,प.नं. 146 / 176 मु.नं. 7 कि.नं. 10–11 प्रत्येक 0.253 =0.506 है.,प.नं. 143 / 177 मु.नं. 13 कि.नं. 22,23 प्रत्येक 0.253,24 / . 127 =0.633 है.,प.नं. 143 / 178 मु.नं. 22 कि.नं. 2–3–4 प्रत्येक 0.253 है.,5–6 प्रत्येक 0. 228,गै.मु.0.051 =1.266 है.,

वादी संख्या 2 लखविन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 10 एमजेडी के प.नं. 146 / 175 मु.नं. 5 कि.नं. 21 / 1 / .025 गै.मु. 013 = 0.038 है.,प.नं. 146 / 176 मु.नं. 7 कि.नं. 1 / 0.253,2 / 0.190 =0.443 है.,प.नं. 143 / 177 मु.नं. 13 कि.नं. 7–13–14–16–17–18 प्रत्येक 0.253, 24 / .126,25 / 0.253 =1.897 है.,

प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 11 एमजेडी के प.नं. 138/182 मु.नं. 42 कि.नं. 21/0.228, 22/0.253, प.नं. 138/183 मु.नं. 47 कि.नं. 1/0.228,2/0.253,गै.मु. रास्ता 0.050 =1.012 है.,
चक नं. 10 एमजेडी के प.नं.142/177 मु.नं. 12 कि.नं.3–8–9–10–11–12 प्रत्येक 0.253 है. =1.518 है.,

प्रतिवादी संख्या 5 ज्ञानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह को प्राप्त हिस्सा– चक नं. 10 एमजेडी के प. नं. 144/177 मु.नं. 14 कि.नं. 21/.253=0.253 है.,प.नं. 144/178 मु.नं. 21 कि.नं. 1/0.228,गै.मु.0.025 है. =0.253 है.,

उपर्युक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 10.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया